उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी

प्रतिनियुिक्ति हेतु आवेदन पत्र के लिए विस्त्रृत विवरण

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी

विज्ञप्ति संख्या: 34 /UCDF/2025-26, Date-15.01.2026

यू0सी0डी0एफ0 द्वारा दिनॉक 05.02.2026 को सांय 5.00 बजे तक निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुिक्ति हेतु राज्य के दुग्ध संघों/डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड में कार्यरत कार्मिकों से आवेदन आमन्त्रित किये जाते है–

1	प्रबन्धक उत्पादन– 01 (एक) पद
2	प्रबन्धक गुणनियन्त्रण– 01 (एक) पद
	विज्ञप्ति से सम्बन्धित विस्त्रृत सूचना वेबसाइट www.ucdfaanchal.com पर उपलब्ध है। **सामान्य प्रबन्धक(प्रशा0)**

यू0सी0डी0एफ0 द्वारा प्रतिनियुक्ति पर निम्नवत् पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है–

1– प्रबन्धक उत्पादन

प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले पदों की संख्या– 01 (एक),

ग्रेड–पेः रु0 5400.00 (सातवां वेतनमान)

योग्यता एवं अर्हताएंः–

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता– आई0डी0डी0 या इससे उच्चतर

अनुभवः– ग्रेड–पे रु0 4200.00 के कार्मिकों हेतु न्यूनतम 10 वर्ष एवं ग्रेड–पे रु0 4600.00 या इससे ऊपर के कार्मिकों हेतु न्यूनतम 05 वर्ष।

वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि– गत 05 वर्षो की चरित्र प्रवृष्टि उत्तम या इससे ऊपर की श्रेणी की होनी आवश्यक है।

प्रतिनियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड के सहकारी दुग्ध संघों एवं डेरी विकास विभाग में कार्यरत कार्मिक ही आवेदन कर सकते है। सम्बन्धित कार्मिक के प्रतिनियुक्ति हेतु उनके मूल संस्था/विभाग की अनापत्ति, कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की न्यायिक प्रशासनिक अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र आदि सेवाभिलेखों का परीक्षण अनिवार्यतः किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति अवधिः– सामान्यतः 03 वर्ष की अवधि हेतु, जिसे संस्था में कार्मिक की आवश्यकता के आधार पर आगामी 02 वर्षों हेतु विस्तारित किया जा सकता है।

2– प्रबन्धक गुणनियन्त्रण

प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले पदों की संख्या– 01 (एक)

ग्रेड–पेः रु0 5400.00 (सातवां वेतनमान)

योग्यता एवं अर्हताएंः–

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता– आई0डी0डी0 या इससे उच्चतर या बी0एस0सी0 (कैमिस्ट्री)

अनुभवः– ग्रेड–पे रु0 4200.00 के कार्मिकों हेतु न्यूनतम 10 वर्ष एवं ग्रेड–पे रु0 4600.00 या इससे ऊपर के कार्मिकों हेतु न्यूनतम 05 वर्ष।

वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि– गत 05 वर्षो की चरित्र प्रवृष्टि उत्तम या इससे ऊपर की श्रेणी की होनी आवश्यक है।

प्रतिनियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड के सहकारी दुग्ध संघों एवं डेरी विकास विभाग में कार्यरत कार्मिक ही आवेदन कर सकते है। सम्बन्धित कार्मिक के प्रतिनियुक्ति हेतु उनके मूल संस्था/विभाग की अनापत्ति, कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की न्यायिक प्रशासनिक अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र आदि सेवाभिलेखों का परीक्षण अनिवार्यतः किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति अवधिः– सामान्यतः 03 वर्ष की अवधि हेतु, जिसे संस्था में कार्मिक की आवश्यकता के आधार पर आगामी 02 वर्षों हेतु विस्तारित किया जा सकता है।

प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–287698, दिनॉक 01.04.2025 द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन किया जायेगा, जिसके द्वारा निर्धारित सामान्य दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1– बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु सामान्य 03 वर्ष की अवधि की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के स्थायीकरण उनके मूल विभाग की अनापत्ति कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की न्यायिक प्रशासनिक अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र आदि सेवाभिलेखों का परीक्षण अनिवार्यतः किया जायेगा।

उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जायेगी कि विभागीय आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उक्त अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है तथा तत्सम्बन्धी आदेश निर्गत होने से बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

2– बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु सामान्य 03 वर्ष की अवधि के पश्चात अग्रेतर 02 वर्ष की अवधि की स्वीकृति वित्त विभाग को प्रेषित प्रस्ताव उक्त अवधि पूर्ण होने के 01 माह पूर्व जिस संस्था में कार्मिक की आवश्यकता है, के सक्षम अधिकारी का मांग पत्र (आवश्यकता का औचित्य सहित), सम्बन्धित कार्मिक के मूल विभाग की अनापत्ति, जिसमें इस आशय की स्पष्ट संस्तुति उल्लिखित हो कि सम्बन्धित कार्मिक के यथास्थिति बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर जाने में शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होंगे, सहित प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिकी बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है, तो सम्बन्धित कार्मिक की उक्त अवधि स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं उन्हें तत्काल अपने मूल विभाग में योगदान किया जायेगा।

बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

3– बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण अवधि समाप्त होने के पश्चात् अनाधिकृत रुप से तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग निर्गत शासनादेश सं0–4 जी0आई0, दिनॉक 12 मार्च 2007 के प्राविधानानुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी तथा उक्त अवधि नियमानुसार विस्तारित न होने की दशा में अवधि समापन की तिथि को वह स्वतः ही बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर तैनात कार्मिक को उनकी उक्त अवधि के समाप्त होने की दशा में तत्काल कार्यमुक्त करें अन्यथा उनका उत्तरदायित्व स्वतः सिद्ध हो जायेगा।

4– बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर तैनात कार्मिक के मूल विभाग के समक्ष अधिकारी द्वारा नियमित रुप से इस आशय की समीक्षा की जायेगी कि कोई कार्मिक अनाधिकृत रुप से बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी

सम्बन्धित संस्थाओं में तैनात तो नहीं है। ऐसी दशा में उनके द्वारा भी सम्बन्धित कार्मिक को पत्र प्रेषित कर विभाग में योगदान सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

5– जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्त में 05 वर्ष का समय अवशेष रह गया हो, ऐसे कार्मिकों को किसी भी दशा में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर तैनाती नहीं प्रदान की जायेगी और यदि कोई कार्मिक पूर्व से बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर तैनात है एवं उनकी सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष अवशेष रह गया हो, को अनिवार्य रुप से अपने मूल विभाग में योगदान कराया जाये एवं किसी भी दशा में ऐसे कार्मिकों की बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण अवधि विस्तारित नहीं की जायेगी।

6– कार्यहित में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण मुख्यतः 02 प्रकार के पदों के सापेक्ष किये जाते है, प्रथम प्रकार के पद पूर्णतः प्रतिनियुक्ति के पद पर होते है तथा द्वितीय प्रकार के पद पर नियमित पद होते है, जिनमें नियमित कार्मिकों की नियुक्ति होने की अवधि के लिये कार्य संचालन प्रतिनियुक्ति के माध्यम से किया जाता है।

उक्त दोनों पदों हेतु प्रक्रियानुसार बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कर कार्मिक की तैनाती की जाती है, जिसमें उक्त हेतु शर्ते/प्रतिबन्ध वर्णित होते है। उक्त शर्तो/प्रतिबन्धों में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरणकी अवधि का प्राविधान भी उल्लिखित होता है, किन्तु प्रायः उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् संस्थाओं द्वारा पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की जाती, अपितु तैनात कार्मिक की बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण की अवधि को विस्तारित किये जाने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जो उक्त पद पर अन्य पात्र कार्मिक की तैनाती के समानता के अवसर का हनन है। साथ ही विभागों द्वारा नियमित पदों पर ससमय नियुक्ति न करते हुए, प्रतिनियिुक्ति कार्मिक से ही शासकीय कार्य सम्पादित कराया जाता है, जिससे उक्त कार्मिक उक्त पद पर अनाधिकृत अवधि तक बना रहता है एवं उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित न होने के कारण उनके मूल विभाग के शासकीय कार्य भी प्रभावित होते है।

समस्त विभाग इस परिपाटी के स्थान पर बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण की अवधि को विस्तारित किये जाने की प्रक्रिया के विकल्प को अपनाये जाने से पूर्व प्रथम विकल्प के रुप में समानता के अवसर के सिद्धान्त को लागू किये जाने के दृष्टिगत उक्त पद हेतु पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित करेंगे अन्यथा की स्थिति में द्वितीय विकल्प के रुप विस्तारीकरण के विकल्प को अपनायेंगे। उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

यू0सी0डी0एफ0 द्वारा प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त क्रम में प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक कार्मिकों द्वारा समस्त आवश्यक अर्हता प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रति सहित नियोक्ताधिकारी की संस्तुति के साथ अपना आवेदन निर्धारित तिथि दिनॉक 05.02.2026 को सांय 5.00 बजे तक यू0सी0डी0एफ0 में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0,